

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 15/2019 वाद

ललिता देवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी शंकरलाल कुमावत, आयु 25 साल,
निवासी निम्बाहेड़ा।

- वादीगण

//बनाम//

1. श्रीमती मनोरमा पत्नी कन्हैयालाल कुमावत, आयु 42 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. श्रीमती वर्ष पत्नी नितीन सेठीया जैन, आयु 38 साल, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. उमेश पिता सोहनलाल वैद्य पायक, आयु 45 साल, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
4. बलवन्त पिता सोहनलाल वैद्य पायक, आयु 48 साल, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
5. विजय पिता सोहनलाल वैद्य पायक, आयु 50 साल, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
6. कमलेश बाई पुत्री सोहनलाल वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
7. मिथिलेश पुत्री सोहनलाल वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
8. बबली पुत्री सोहनलाल वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
9. सचिन पिता प्रकाश वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
10. अमिताभ पिता प्रकाश वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
11. कमलेश बाई बेवा प्रकाश वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
12. माया देवी पुत्री डाडमचंद उर्फ डामर सिंह वैद्य पायक, आयु वयस्क, निवासी शिव कॉलोनी, निम्बाहेड़ा।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि.

निर्णय

दिनांक 16.07.2019

प्रकरण में दिनांक 12.06.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि वाके मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 2130 रकबा 0.1800 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस पक्षकारान के मध्य उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2019 तक प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने फर्द विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक/राजस्व/बी/19/07, दिनांक 15.07.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने फर्द विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की है।

अतः वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 2130 का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1- श्रीमती ललिता देवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी शंकरलाल कुमावत, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
2130 में से	0.0600	2.52

2- श्रीमती मनोरमा पत्नी कन्हैयालाल कुमावत, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
2130 में से	0.0257	1.08

3- श्रीमती वर्षा पत्नी नितिन सेठीया जैन, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
2130 में से	0.0514	2.16

4- श्री उमेश, बलवन्त, विजय पिता सोहनलाल, कमलेश बाई, मिथिलेष, बबली पुत्री सोहनलाल, सचिन पिता प्रकाश वैद्य पायक, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
2130 में से	0.0300	1.26

5- श्री मायादेवी पुत्री डाडमचन्द उर्फ डामरसिंह वैद्य पायक, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
2130 में से	0.0129	0.54




सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 16.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

